

144 दण्डा सं०

आदेश पत्रक

विनिमय मही

ग्राम

वीरवल मही

DRDP

सं० 20

26/5

M-47/2018

आदेश का क्रम संख्या

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख--सहित

2

3

28/3/18

~~खुई~~ थाना अप्राथमिकी संख्या 5/18 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव है और शांति भंग होने की आशंका है। थाना प्रभारी ने दण्ड प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा की है।

105  
28/3/18

जमीन का विवरण

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
कपियां	37	184	1.07 एकड़

अतः मैं ..... अनु० दण्डा० खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर दण्ड प्र० सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करत तकरारी जमीन पर जागे से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ।

उभय पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें।

दिनांक 12/4/18

*(Handwritten signature)*

अनुमंडल दण्डाधिकारी

खूँटी

31/5/18 प्रथम पहर के कार्यक्रम, सिपर्स

के 20:00 21:00:00 उपरान्त, कालवाचित होने के कारण कार की कार्यवाही बंद किया जा रहा है

31/5/2018